

25/11/20

पञ्चवली प्रशासन गांवों के सगे अभियान 2021 के तहत गांव चोखुडा व अभोजित शिविर में विस्तारण हेतु जारी गये। हमारे पञ्चवली वन अधिकार कानून। प्राची ग्राम चोखुडा की अ. नं. 1338, 1339, 1340, 1345, 1346, 1347, 2348 की 7 रकम 2.65 हे. भूमि की पट्टागरी कानून वाकट, आवेदन प्रस्तुत किया है। पञ्चवली में सलान नकल नमोपत्र मन्तर 2066-2069 अनुदान अंत आराजीपत जारी के विस्तारण 12 की सलान सलानोरी की है। अ. नं. 1347 रकम 0.42 के वजात शुद्धे प. व 2347 रकम 0.42 दर्ज किया। अंत प्राची वन प्राची वन अन्वेषण पत्र 128 पर अंत खीसा। किया जाकर ग्राम चोखुडा लिपि आराजी सलान 1338, 1339, 1340, 1345, 1346, 2347, 2348 की 7 कुल रकम 2.6500 हे. भूमि की विना कानून के कहे से दरवाजा की किए सलाने न. व. अनुदान पट्टागरी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिशनर शुल्क 1500000 रुपए अन्वेषण एक हजार पांच सौ रुपए प्राची वहन कोगा। पालननी न. व. सलानोरी विस्तारण को लिखित जाते कि पञ्चवली को लिखित सूचना देकर निम्नानुसार पट्टागरी की जाते एवं पालन रिपोर्ट नमोपत्र में प्रस्तुत करें। पञ्चवली कानून शुमार होकर नम्बर से कम है।

2019
00438



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)